न्यायालय, अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश पुलवामा
Cr. No. 594/12
जम्मू

आदेश/मामला 150/12

25.05.26 अभिलेख का अवलोकन किया।
अवलोकन से विदित है कि प्रकरण वाद के अंतिम प्रक्रम तक नहीं पहुंचा दिखाते हुए खारिज किया गया है।
पुनः को नोटिस जारी किया गया पुनः नोटिस प्राप्त करने के बाद भी अपना पक्ष स्थापित करने हेतु जानबूझकर उपस्थित नहीं हुआ जिससे प्रतीत होता है कि पुनः को इस वाद में आगे रुचि नहीं है।
अभियोजन की प्रमाणसहायता अभियुक्त के अपराध उपलब्ध नहीं है।
ऐसी स्थिति में अंतिम प्रक्रम स्वीकृत किया जाता है तथा वाद को निपटारी को बंद किया जाता है।
कार्यालय विधानुसार अभिलेख अभिलेखागार में जमा हो।

अतिरिक्त
[illegible]